॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_musoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक - 934 / 12-1 मसूरी, दिनांक - 06 / 09 / 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना के निर्माण वांछित कुल 0.767 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–0.158 है0) वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैरवानिकी कार्यों हेतु 15 वर्षों की लीज हेतु प्रत्यावर्तन।**

(Online proposal No.- FP/UK/WATER/43418/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा उक्त पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन EDS के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव की 01 हार्ड प्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या–4214 / 12–1, दिनांक–30.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में ही आपके कार्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या–1582 / वन भूमि / 26, दिनांक–21.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नोडल कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः प्रस्ताव की हार्ड प्रति के सम्बन्ध में सूचना उक्तानुसार महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 5215 /12–1 दिनांक, मसूरी 30 – 5 –2020।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–53/2017 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–0.158है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/WATER/43418/2019

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, ओ०एन०जी०सी० अस्पताल के सामने, कमलानगर, देहरादून(उत्तराखण्ड) का पत्र 3821/वन भूमि/65, दिनांक 24–12–2019

महोदय,

विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव दो वन प्रभागों (मसूरी वन प्रभाग एंव देहरादून वन प्रभाग) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, देहरादून द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–53/2017 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–0.158है0) वन भूमि का आनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की स्कैन हार्ड प्रति इस कार्यालय में 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन /अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव की हार्ड प्रति एंव ऑनलाईन प्रस्ताव की जॉच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) स्कैन हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित पेयजल हेतु वांछित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग, व प्रयोक्ता एजेन्सी के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दिनांक 09-05–2019 को किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का दिनांक 15–03–2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित /बाधित होना निहित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उक्तानुसार (प्रस्ताव की एक स्कैन हार्ड प्रति)।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–5215 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, ओ०एन०जी०सी० अस्पताल के सामने, कमलानगर, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

क्रमांक 836

डाक चालान

कहां से: प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी

कहां को: प्रमुख वन संरक्षक देहरादून

क्रम सं०	डाक का विवरण	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
	4221 4220 4238 प्रत्यावेदन की प्रति (4208) (3716) उपभोक्ता पत्र — (1) संलग्नक 3858, 3645 4643 3644 पराग उपभोक्ता प्रस्ताव की निर्गत प्रति छाया प्रति सहित संलग्न सहित 4242 4243	

हस्ताक्षर [signature] 08/08/2020

दिनांक

E-mail : eecdupjnoun@gm...

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय : अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा
ओ०एन०जी०सी० अस्पताल के सामने, कमला नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : 1582 / पे०नि०शा० / 26 दिनांक : 21/06/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय :— जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–0.158 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 30 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 2182/12–1, दिनांक देहरादून, 23.12.2020 के द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट–02 में अपलोड कर दिया गया है तथा पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या 68/वन भूमि/03 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को 03 प्रतियों (हार्ड कॉपी में) प्रेपित की गयी थी, परन्तु उपरोक्त प्रतियां आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो सकी। जिस कारण आपके द्वारा ऑनलाईन 03 प्रतियों में हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु आपत्ति जताई गयी है।

अतः आपको पुनः 03 प्रतियां संलग्न कर प्रेपित की जा रही हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

21/06/2021

(मिशा सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि श्री मनोज कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड (देहरादून)
22-7-21
प्राप्त किया